महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

भाषा प्रौद्योगिकी विभाग में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी व्याख्यानमाला का आयोजन

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के भाषा विद्यापीठ में भाषा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी व्याख्यानमाला में प्रथम व्याख्यान 'व्याकरण में स्त्री' का आयोजन हुआ जिसके मुख्य वक्ता प्रोफेसर वागीश शुक्ल थे। व्याख्यान की अध्यक्षता कुलपति प्रो. गिरीश्वर मिश्र ने की। स्वागत वक्तव्य में भाषा विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल ने आचार्य किशोरीदास वाजपेयी द्वारा हिंदी भाषा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान का संक्षेप में परिचय देते हुएकहा कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी को परिष्कृत रूप प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वाजपेयी जी ने न केवल संस्कृत हिंदी केव्याकरण क्षेत्र को विभूषित किया अपितु आलोचना क्षेत्र को भी बहुत सुंदर ढंग से संवारा। हिंदी शब्दानुशासन, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, हिंदी शब्द मीमांसा, भारतीय भाषा विज्ञान, हिंदी निरुक्त, हिंदी शब्द मीमांसा आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। वाणी प्रकाशन ने उनकी ग्रंथावली प्रकाशित कर दी है जिससे उनका समग्र लेखन हम सब के सामने है। जिस तरह से और जिस अनुपात में आचार्य वाजपेयी का अध्ययन किया जाना था और उसका उपयोग होना था मैं समझता हूँ मेरे अल्पज्ञान की परिधि में बहुत कम है। प्रोफेसर वागीश शुक्ल ने व्याख्यान शुरू करते हुए कहाकि व्याकरण में स्त्री को किस प्रकार देखा गया है ? मान लीजिये आप जानना चाहे कि स्त्री शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई ? तो याक का एक अपत्य कर अर्थात शर्माना यानि लजाती है। जहाँ से मैं प्रारम्भ करना चाहता हूँ वह यह कि लजाने के पहले भी क्या वह स्त्री है ? या लजाती है इसलिए स्त्री है ?' इसके अलावा भाषा और जेंडर को लेकर अन्य उद्धरणों को भी विस्तारपूर्वक बताया। उन्होंने यह बताया कि जेंडर शुरू से ही पहचान कराने का माध्यम भी रहा है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कोई सड़क पार कर रहा है और सामने से आ रही गाड़ी से उसके कुचले जाने का भय हो तो आप क्या कहेंगे ? यही न कि 'ऐ मैडम/सर संभाल के'। उन्होंने पतंजलि के हवाले से कहा कि हिंदी में द्विवचन व नपुंसक लिंग नहीं है।

संस्कृत में जो भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उसमें स्त्री अकेला है। जहाँ कामचलाऊँ सर्वनाम हो गया वो नपुंसक है। नपुंसक लिंग को बताने के लिए अलग से कोई प्रत्यय नहीं है बल्कि इसके लिए नियम हैं। प्रकृति में जो पहले से मौजूद है उसको व्यक्त करने के लिए प्रत्यय लगाते हैं। जिसमें भी 'त्व' प्रत्यय लगेगा वह सदैव नपुंसक लिंग में होगा। लघुसिद्धांत कौमुदी में स्त्री प्रत्यय के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि धातुओं की दो अवस्था है – साध्यावस्था और सिद्धावस्था। उदाहरण – 'मोहन भात पका रहा है' में पकाया सिद्धावस्था है। साध्यावस्था तक जेंडर नहीं लगता। सिद्धावस्था में जेंडर लगाने की छूट है। प्रत्येक शब्द में अर्थ बताने की प्रवृत्ति होती है। व्याख्यान के दूसरे सत्र में प्रोफेसर वागीश शुक्ल ने कहा अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है – 'स्त्रीयाम्'। लक्षणों के आधार पर लिंग निर्धारण की प्रवृत्ति सही नहीं थी। विस्तार के आधार पर,

आकार के आधार पर लिंग निर्धारण हो सकता है। जैसे छोटे जंगल को 'अरण्य' और बड़े जंगल के लिए 'अरण्यानि' शब्द का प्रयोग होता है। ठीक इसी प्रकार से कम बर्फ के लिए 'हिम' और ज्यादे बर्फ के लिए 'हिमानी' शब्द का प्रयोग होता है। मूलभूत रूप में निरीक्षण सिद्धांत लिंग निर्धारण में काम नहीं करेगा। जिस प्रकार शरीर एक निर्माण है उसके अंग किस प्रकार कार्य करें यह भी एक निर्माण प्रक्रिया ही है। वास्तव में जेंडर मृग मरीचिका जैसा ज्ञान है। व्याकरण में जहाँ तक अधिकरण कारक है वहाँ तक स्त्री है।

अध्यक्षीय वक्तव्य में कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र ने व्याख्यान के सफल आयोजन पर विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रोफेसर हनुमानप्रसाद शुक्ल को बधाई देते हुए कहा कि मेरी जानकारी में जेंडर को लेकर इतनी विशद् चर्चा अब तक नहीं हुई है। प्रोफेसर वागीश शुक्ल जी ने व्याकरण और जेंडर को लेकर अपने ज्ञान को इतने कम समय में यहाँ उड़ेल दिया यह वाकई काबिल-ए-तारीफ है। कार्यक्रम के अंत में भाषा प्रौद्योगिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अनिल कुमार पांडेय ने आभार प्रकट किया ।